

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ**  
**मध्य प्रदेश**

क.9/नर्सिंग/सेल-3/14/

भोपाल दिनांक /9/2014

**आदेश**

पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण वर्ष 2014 में विभागीय उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर आई.एन.सी. दिल्ली द्वारा अनुमति प्राप्त संस्था शासकीय बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन में 2 वर्ष के पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु निम्नालिखित कर्मचारियों का चयन किया जाता है :-

क.	प्रशिक्षणार्थी के नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली संस्था का नाम
<b>सामान्य वर्ग</b>			
1	सुनीता पुरोहित	जिला चिकित्सालय, शिवपुरी	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
2	सुलोचना नायर	माधव नगर जिला चिकित्सालय, उज्जैन	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
3	जेकलीन सेम्युअल	जिला चिकित्सालय, धार	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
4	श्रीमति शैलजा मुले	सिविल अस्प. शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
5	लता कुम्भारे	सिविल डिस्पेन्सरी, छतरी चौक, उज्जैन	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
6	उषा तोमर	जिला चिकि. मुरैना	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
7	किरण सिंह (पटेल)	जिला चिकित्सालय, सतना	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
8	संध्या तोमर	गोविन्ददास पंत, जिला चिकित्सालय, इन्दौर	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
9	शीला पंवार	जिला चिकि. बैतूल	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
10	किरण पडोले	सिविल हास्पिटल, शाजापुर	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
11	रजनीबाला धाकड़	जिला चिकित्सालय, नीमच	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
12	वैभवी ताम्हनकर	जिला चिकित्सालय, देवास	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
13	आरती रामावत (वैष्णव)	जिला चिकि. मन्दसौर	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
14	सुधा नायर	जिला चिकित्सालय, देवास	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
15	मनीषा सिसोदिया	जिला चिकित्सालय, नीमच	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
16	सुनीता सोलंकी	जिला चिकित्सालय, धार	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
17	अनीता तोमर	जिला चिकित्सालय, उज्जैन	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
18	शीरीन भिंगारदीवे	जिला चिकित्सालय, इटारसी	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
19	सुधा सिंह	सामु.स्वा.केन्द्र, रायपुर कर्चुलीयान रीवा	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
20	मोहनवती मिश्रा	जिला चिकित्सालय, रीवा	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
21	हसीना शेख	जिला चिकि. बडवानी	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
22	वहीदा बानो शेख	जिला चिकित्सालय, झाबुआ	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
23	रमा मिश्रा	जिला चिकित्सालय, सतना	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
24	मिथिलेश गौतम	जिला चिकित्सालय, सतना	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
25	ममता सोनी	जिला चिकित्सालय, सतना	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
26	मीनल सिंह	सिविल चिकि. नैनपुर जिला मंडला	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
27	श्रीमति अनिता यादव	माधवनगर जिला चिकि. उज्जैन	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
28	बसंती दुरास्वामी	सामु.स्वा.केन्द्र, कालापीपल जिला शाजापुर	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
29	पुष्पा ठाकुर	रानी दुर्गावती, जबलपुर	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
30	सुनीता सोनवशी	सी.एच.सी. बिलकिसगंज जिला सिहोर	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
31	सीमा नायर	जेपी हास्पिटल, भोपाल	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
32	मनीषा पाल	नेत्र चिकित्सालय, मुरार ग्वालियर	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर



		अनुसूचित जाति	
1	बबिता पटेल	जिला चिकित्सालय, धार	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
2	अलका सोनवडे	पोली क्लिनिक, मल्हारगंज इन्दौर	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
3	श्रीमति पुष्पा चौकीकर	जिला चिकि. बैतूल	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
4	ज्ञानकु पटौदी	माधव नगर जिला चिकि उज्जैन	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
5	मंजुला लुहानिया	जिला चिकित्सालय, देवास	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
6	विजयलक्ष्मी रंगारे	जिला चिकित्सालय, बालाघाट	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
7	उषा बाबरिया	सीएचसी परासिया जिला छिन्दवाड़ा	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
8	रेणुका अहिरवार	जिला चिकित्सालय, रीवा	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
		अनुसूचित जनजाति	
1	मीना डेकाटे	जिला चिकित्सालय, मुरैना	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
2	अमिता अल्बर्ट	सीएचसी बाबई जिला होशंगाबाद	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
3	प्रेमलता परते	जिला चिकि. डिण्डोरी	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
4	राजेश्वरी नारनौरे	सीएचसी लांजी जिला बालाघाट	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
5	रितु फ्रांसिस	सिविल हास्पिटल, रतलाम	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
6	ज्योति धुर्वे	सिविल हास्पिटल, इटारसी जिला होशंगाबाद	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
7	जुली जेकब	जेपी हास्पिटल, भोपाल	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
8	श्रीमति शशिकला वर्मा	जिला चिकि. रतलाम	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन
9	दानकिशोरी सोरंग	जिला चिकित्सालय, बैतूल	शासकीय नर्सिंग कालेज जबलपुर
10	रजनी डोडियार	सामु.स्वा.केन्द्र, सरदारपुर जिला धार	शासकीय नर्सिंग कालेज उज्जैन

नोट :- उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों पर बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु पात्रता होगी :-

1. चयनित उम्मीदवार जिनके रजिस्ट्रेशन वेलिड नहीं हैं, का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने के पश्चात् ही उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।
2. उम्मीदवार दिनांक 12/10/2014 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संबंधित संस्था को देवें यदि उपरोक्त तिथि में उपस्थिति नहीं दी जाती है तो उनका चयन स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. जिन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश की पात्रता है, उन्हें ही नियमानुसार 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा। यदि किसी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश की पात्रता न हो तो शीघ्र उपसंचालक (नर्सिंग) को अवगत करायें।
4. चयनित उम्मीदवार यदि प्रशिक्षण अवधि में किसी कारणवश प्रशिक्षण बीच में छोड़ देता है तो उसको आगामी पांच वर्ष तक प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। संबंधित कार्यालय द्वारा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रशिक्षण के लिये भेजने की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कर ली जावे।
5. चयनित उम्मीदवार को नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के समय न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
6. प्रशिक्षण में प्रथम बार उपस्थिति होने एवं प्रशिक्षण से कार्यमुक्त होने पर केवल एक बार ही यात्रा भत्ता दिया जावेगा। इसके अलावा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
7. चयन किये जाने पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने के पूर्व प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण के उपरान्त 7 वर्ष की शासकीय सेवा करने का अनुबंध भरना होगा। उन्हें मध्यप्रदेश शासन की किसी भी संस्था में शासन की आवश्यकतानुसार अपनी सेवा देना अनिवार्य है।
8. प्रशिक्षण में प्रवेश पश्चात् किसी भी कारणवश प्रशिक्षण छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि में होने वाला व्यय/प्रशिक्षणार्थी से वसूल की जावेगी एवं उन्हें 2 वर्ष तक उक्त प्रशिक्षण में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।



9. अध्ययन अवकाश पात्रतानुसार स्वीकृत किया जावेगा। कार्यमुक्त करने पर अध्ययन अवकाश फार्म पात्रतानुसार अनुशंसा सहित संचालनालय को प्रेषित करें। उम्मीदवारों को प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त हाजिरी पत्रक के अनुसार ही मूल पदस्थापना स्थान से प्रतिमाह वेतन भुगतान होगा। प्रशिक्षण में जो व्यवहारिक (प्रैक्टिकल) अवधि कम होगी वह बाद में अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी। उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि में कोई भी अवकाश देय नहीं होगा। प्रशिक्षण अवधि में भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)  
संचालक(नर्सिंग)  
स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क.9/नर्सिंग/सेल-3/14/ 971

भोपाल दिनांक 24/9/2014

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त मध्य प्रदेश।
3. समस्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त संयुक्त संचालक स्थानीय कार्यालय।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि चयनित उम्मीदवारों की सेवा पुस्तिका में अंकित जाति का सत्यापन कर तत्काल प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें। यदि किसी कर्मचारी की जाति सेवा पुस्तिका में अंकित न हो या भिन्नता हो तो अवगत करायें। अध्ययन अवकाश पात्रता भी सेवापुस्तिका से परीक्षण कर अवगत करायें। कार्यमुक्त करने से पूर्व अनुबंध पत्र भी प्राप्त करें।
7. प्राचार्य बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर/उज्जैन की ओर प्रेषित कर लेख हे कि उपस्थित कर्मचारी के नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन तथा समस्त मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति देखें। जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होते हैं। तो उन अनुपस्थित उम्मीदवारों की जानकारी दिनांक 12.10.2014 तक उपसंचालक (नर्सिंग) को पत्र वाहक या फेक्स द्वारा भेजें ताकि प्रशिक्षण सूची में से उम्मीदवारों के आदेश जारी किये जा सकें संबंधित उम्मीदवारों से नियमानुसार दी गई शर्तों के साथ ही उपस्थित करावें।
8. रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल गोवन्तिका परिसर, बारह दफतर, जवाहर चौक भोपाल म.प्र.।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर भेजकर लेख है कि दिनांक 12.10.2014 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संबंधित कालेज को दें।
10. आदेश नरित।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा) 24/9/14  
संचालक(नर्सिंग)  
स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश